राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2160/2010/टोंक.

मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज,
एफ–14, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, टोंक. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 01/वैट/2010–11/टोंक में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2010 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान जयपुर में वाहन संख्या आर.जे.26/जी–1192 की जांच की गयी थी, तब वाहन में 112 बैग सरसों के पाये गये थे जिसका बिल वाहन चालक द्वारा पेश किया गया था। दिनांक 19.01.2010 को अपीलार्थी व्यवहासी द्वारा जारी किया गया था परन्तु वह बिल मैसर्स एम.के.एग्रो सर्विस पचेवर जिला टोंक को जारी था एवं डिलीवरी एट झोटवाड़ा के निर्देश भी लिखे हुए थे परन्तु जांच के समय वाहन चालक द्वारा यह जानकारी नहीं दी जा सकी कि झोटवाड़ा में किस फर्म के व्यवसाय स्थल पर यह माल खाली किया जावेगा साथ ही माल की बिल्टी तथा मण्डी का गेटपास भी नहीं होने से संदेह के आधार पर वाहन को निरूद्ध किया गया एवं वैट इन्वॉयस की सत्यता को प्रमाणित करने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी फर्म द्वारा लिखित जवाब मय शपथपत्र पेश किया गया तथा माल के खरीदकर्ता मैसर्स एम. के. एग्रो सर्विस पचेवर के मालिक भी उपस्थित हुए एवं

लगातार.....2

क्रयकर्ता के बयान लिये जाने पर यह बताया गया कि माल का भुगतान नहीं किया गया है एवं उन्होंने डिलीवरी लेने से भी इंकार किया। यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इस संव्यवहार से पूर्व क्रयकर्ता ने कोई माल अपीलार्थी से खरीद बिक्री नहीं किया था इस आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गई जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माल की अन्तिम डिलीवरी के सम्बन्ध में खुलासा नहीं होने एवं क्रयकर्ता द्वारा माल की डिलीवरी लेने से इन्कार कर देने के तथ्यों के प्रकाश में एवं माल की बिल्टी नहीं बनने के अतिरिक्त तथ्यों के अधीन अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर आरोपित शास्ति की पुष्टि की गयी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माल का परिवहन विधिक बिल के साथ किया गया था एवं बिल की मूल प्रति प्रथम जांच पर ही जांच अधिकारी को प्रस्तुत की गयी थी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा मिथ्या घोषित नहीं किया है बल्कि क्रयकर्ता द्वारा माल की डिलीवरी नहीं लेने के आधार पर इसे धारा 76(2) का उल्लंघन माना गया है जो विधिसम्मत नहीं है तथा सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से जो शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था उसका भी कोई खण्डन किये बिना ही शास्ति आरोपित की है जो विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

4. यह कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा बिना आदेश पारित किये ही अपीलार्थी से शास्ति की राशि की वसूली की गयी है एवं बार—बार स्मरण कराने के पश्चात् शास्ति आदेश बाद में पारित किया गया है इस आधार पर भी शास्ति आदेश अपास्त योग्य बताया एवं अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर यह प्रमाणित है कि माल का परिवहन अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विधिसम्मत इन्वॉयस संख्या 60 दिनांक 19.01.2010 के जरिये किया गया था जो राज्य के भीतर टोंक से क्रयकर्ता फर्म पचेवर स्थित फर्म के नाम जारी किया हुआ था एवं बिल में माल की डिलीवरी जयपुर में दिये

लगातार.....3

जाने का भी अंकन किया हुआ था ऐसी स्थिति में परिवहन के समय वेट अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं किया जाना प्रमाणित है। यह सही है कि वाहन चालक द्वारा माल की डिलीवरी देने के सम्बन्ध में उचित जवाब नहीं दिया गया था इस आधार पर जांच अधिकारी को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि माल का परिवहन बिल के जरिये किया गया है परन्तु चैक नहीं होने की स्थिति में कर चोरी की जा सकती थी एवं यही टिप्पणी अपीलीय अधिकारी के आदेश में पृष्ठ संख्या 2 पर अंकित की है कि यदि वाहन चैक नहीं होता तो इस माल का उचन्ती विक्रय कर दिया जाता। इससे प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के विचार अनुसार माल का परिवहन विधिसम्मत बिल के साथ तो किया गया है परन्तु माल की डिलीवरी जयपुर में दिये जाने के निर्देश के साथ यह सम्भावना थी कि माल की जांच नहीं होने पर यह बिल हटाते हुए करापवंचन किया जा सकता था परन्तु विधिक प्रावधानों के अनुसार वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण तभी किया जा सकता है जब धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित किया गया हो। इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने इस साक्ष्य को गलत नहीं ठहराया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का परिवहन विधिसम्मत बिल से किया गया था एवं वाहन स्वयं अपीलार्थी का होने के कारण बिल्टी नहीं होने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन कारित नहीं होता है एवं केवल करापवंचन की सम्भावना के आधार पर शास्ति का आरोपण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा दिया गया जवाब एवं क्रयकर्ता द्वारा दिये गये शपथपत्रों को बिना किसी विपरीत साक्ष्यों के अस्वीकार किया जाना भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के उल्लंघन किये जाने के अभाव में धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि किया जाना अविधिक होने से अपीलीय आदेश एवं सक्षम अधिकारी के शास्ति आदेश को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

12/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य